

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 93/2024
निर्णय दिनांक : 25.11.2024
GCMS NO : 2024/197

गजू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लिखमनसर तहसील सुजानगढ़
जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता मोहनलाल बिस्सु उपस्थित
2. अप्रार्थी परोकार राज उपस्थित।

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट



—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग के खेत खाता संख्या 208 के खसरा संख्या 128 तादादी 0.6575 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 तादादी 3.8820 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 4.5395 हैक्टेयर वाके रोही लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु व खेत खाता संख्या 134 के खसरा संख्या 121 तादादी 4.3751 हैक्टेयर, ख.नं. 140 तादादी 0.3161 हैक्टेयर कुल किता 2 तादादी 4.6912 हैक्टेयर वाके लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु स्थित है। जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम जगूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह व गजसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम गजू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम लिखमणसर में प्रार्थी का नाम जगूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह व गजसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम गजूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह है। जगूसिंह, गजसिंह व गजूसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गजूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

की छायाप्रति, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम गजूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 208 के खसरा संख्या 128 तादादी 0.6575 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 तादादी 3.8820 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 4.5395 हैक्टेयर वाके रोही लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में दर्ज जजूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह निवासी लिखमणसर व खेत खाता संख्या 134 के खसरा संख्या 121 तादादी 4.3751 हैक्टेयर, ख.नं. 140 तादादी 0.3161 हैक्टेयर कुल किता 2 तादादी 4.6912 हैक्टेयर वाके रोही लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में दर्ज गजसिंह पुत्र गोविन्दसिंह निवासी लिखमणसर खातेदार के स्थान पर गजूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी लिखमणसर खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।



डॉ. 1
ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)